

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या-पी.पी.एम.-08/2014 -

4545

/कृ0, पटना, दिनांक 07-09-2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय :

डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि महाविद्यालय के लिए कुल 84 पदों (एसोसिएट डीन सह- प्रिंसिपल-01, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर -05, एसोसिएट प्रोफेसर-11, असिस्टेंट प्रोफेसर-25, नन टिचिंग स्टाफ -42) के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 359.18 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार) रुपये व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य जाति के लिए वर्ष 2015-16 में तत्काल 298.1194 लाख रुपये (दो करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :

स्वीकृत।

निदेशानुसार डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषि महाविद्यालय के लिए कुल 84 पदों (एसोसिएट डीन सह- प्रिंसिपल-01, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर -05, एसोसिएट प्रोफेसर-11, असिस्टेंट प्रोफेसर-25, नन टिचिंग स्टाफ -42) के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 359.18 लाख (तीन करोड़ उनसठ लाख अठारह हजार) रुपये व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य जाति के लिए वर्ष 2015-16 में तत्काल 298.1194 लाख रुपये (दो करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सीमांचल क्षेत्र में कृषि विकास को तीव्रतर करने हेतु दिनांक: 16.05.2013 को मंत्रिपरिषद द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर तथा इंटिग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के क्रम में डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के लिए पदों का सृजन निम्न प्रकार से किया जाता है,

पद का नाम	पद की संख्या
एसोसिएट डीन सह प्रिंसिपल	01
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर	05
एसोसिएट प्रोफेसर	11
असिस्टेंट प्रोफेसर	25
नन टिचिंग स्टाफ	42
कुल	84

पदों का वेतनमान एवं उस पर होने वाले वार्षिक व्यय विवरणी अनुसूची-1 संलग्न है।

3. डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में अन्तर स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में 60 छात्रों का नामांकन किया जायेगा। इन्टिग्रेटेड युनिट ऑन लाइवस्टॉक एण्ड फिशरीज के द्वारा समेकित कृषि प्रणाली पर अनुसंधान किया जायेगा। एडवांसड सेंटर ऑन सेरीकल्चर राज्य में रेशमपालन पर अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेन्टर उद्यान विषय पर अनुसंधान के लिए समर्पित होगा। प्रशासनिक तौर पर कृषि

महाविद्यालय के प्राचार्य के अधीन महाविद्यालय के अतिरिक्त हार्टीकल्चर रिसर्च सेन्टर इन्टिग्रेटेड युनिट आन लाइवस्टॉक एण्ड फिशरीज तथा एडवांस्ड सेंटर ऑन सेरीकल्चर कार्यरत होगा। तत्काल मात्र डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के लिए पदों का सृजन किया जा रहा है। अन्य संस्थानों के लिए आवश्यकतानुसार पदों के सृजन की कार्रवाई अलग से की जायेगी। महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थान बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अंगीभूत इकाई होगा।

4. स्वीकृत पदों में से शैक्षणिक पद पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम के अधीन नियुक्तियाँ की जा सकती हैं।

5. नन टिचिंग स्टाफ के अधीन तकनीकी स्टाफ के रूप में फार्म मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेन्ट आदि एवं कार्यालय तथा सहायक स्टाफ के पदों में असिस्टेंट-कम्पट्रोलर, लेखापाल, कार्यालय अधीक्षक, कलर्क-कम-कम्प्यूटर ऑपरेटर, निजी सहायक, अनुसेवक, चौकीदार आदि के पद शामिल हैं। इनमें से वर्ग- IV के पदों को छोड़कर विभिन्न प्रकार की कार्यो/सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण नियमों के अनुसार उपयुक्त कर्मियों को नियुक्त किया जायेगा। वर्ग- IV के पदों पर आउट सोर्सिंग द्वारा सेवा प्राप्त की जायेगी। आवश्यकता होने पर यथावश्यक निर्णय प्रशासी विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

6. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत 298.1194 लाख रुपये (दो करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रुपये) का व्यय मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, मांग सं०-1, उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड P2415012770108 राज्य योजना स्कीम कोड- AGR-5042 अंतर्गत विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में वर्ष 2015-16 में उपबंधित 1717.84 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि 298.1194 लाख रुपये (दो करोड़ अठानबे लाख ग्यारह हजार नौ सौ चालीस रुपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कृषि विभाग को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के अधीन भेजा जायेगा।

9. बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी तैयार किया जायेगा तथा कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकक्षण का अधिकार रहेगा।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.08.2015 को स्वीकृति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-08/2014 के पृ०सं०-50/टि. पर प्राप्त है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ संख्या-52/टि० दिनांक: 26.08.2015 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(प्रभु राम) 21/5
निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4545

/कृ०, पटना, दिनांक 07-09-2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2015

निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4545

/कृ०, पटना, दिनांक 07-09-2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2015

निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4545

/कृ०, पटना, दिनांक 07-09-2015

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2015

निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4545

/कृ०, पटना, दिनांक 07-09-2015

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/संयुक्त कृषि निदेशक (मु०), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

21.09.2015

निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Establishment of College of Agriculture, Kisanganj

Sl No.	Designation	No. of posts to be created	Pay scale	Pay	Spl. Pay/Grade pay	Basic Pay	DA @ 113%	Contribution to CPF/NPS	HRA	Medical Allowance	Estimated expenditure for 9 months
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teaching post											
1	Assoc. Dean-cum-Principal	1	37400-67000	37400	10000	47400	53562	4740	4740	200	995778
2	University Professor-cum-Chief Scientist	5	37400-67000	37400	10000	47400	53562	4740	4740	200	4978890
3	Assoc. Professor-cum-Sr. Scientist	11	37400-67000	37400	10000	47400	53562	4740	4740	200	10953558
4	Assistant Professor-cum-Jr. Scientist	25	15600-39100	15600	6000	21600	24408	2160	2160	200	11368800
	Total	42		127800	36000	163800	185094	16380	16380	800	28297026
Non-teaching Post											
1	Assistan Comptroller	1	9300-34800	9300	4800	14100	15933	1410	1410	200	297477
2	Accountant	1	9300-34800	9300	4200	13500	15255	1350	1350	200	284895
3	Account Clerk (UDC)	2	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	322344
4	Head Clerk (Establishment)	1	9300-34800	9300	4200	13500	15255	1350	1350	200	284895
5	Establishment Clerk	3	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	483516
6	Correspondence Clerk (पत्राचार लिपिक)	1	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	161172
7	Storekeeper	1	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	161172
8	Typist/Computre Operator	2	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	322344
9	Farm Manager	1	9300-34800	9300	4200	13500	15255	1350	1350	200	284895
10	Junior Research Assistant	1	5200-20200	5200	2800	8000	9040	800	800	200	169560
11	Field Oversear	2	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	322344
12	Library Assistant	2	5200-20200	5200	2000	7200	8136	720	720	200	305568
14	Electrician	1	5200-20200	5200	2400	7600	8588	760	760	200	161172
16	Jeep Driver	2	5200-20200	5200	1900	7100	8023	710	710	200	301374
17	Tractor Driver	1	5200-20200	5200	1900	7100	8023	710	710	200	150687
19	Carpenter	1	4440-7440	4440	1900	6340	7164.2	634	634	200	134749.8
15	Pump Operator	1	4440-7440	4440	1800						
13	Garden Supervisor-cum-Farm Sardar	1	4440-7440	4440	1800						
18	Mali	2	4440-7440	4440	1800						
20	Lab Attendent (प्रयोगशाला अनुचर)	5	4440-7440	4440	1800						
21	Peon	4	4440-7440	4440	1800						
22	Chowkidar	4	4440-7440	4440	1800						
23	Sweeper	2	4440-7440	4440	1800						
	Total	42		129920	57300	143540	162200.2	14354	14354	3200	7620973.8
	Grand Total	84		257720	93300	307340	347294.2	30734	30734	4000	35918000

नोट- उपर्युक्त पदों पर वेतनमान/ग्रेड पे वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा इन पदों के वेतनमान/ग्रेड पे पूर्व में स्वीकृत किया गया है। वर्ग IV के पद आउटसोर्सिंग से ली जायेगी इसलिए एकमुश्त गणना की गयी है।